(ग्राम्स)/2025/1113

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सुरजा राम बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 597 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
21/12/2025	प्रार्थी सुरजा राम पुत्र बालु राम जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 250, 186, 58, 249 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजा पुत्र कालु दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 371 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजाराम पुत्र कालूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि सुरजा राम पुत्र बालु राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजा राम पुत्र बालु राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजा पुत्र कालु/सुरजाराम पुत्र कालूराम के स्थान पर सुरजा राम पुत्र बालु राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1311 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 250, 186, 58, 249 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजा पुत्र कालु के स्थान पर सुरजा राम पुत्र बालु राम उर्फ कालु दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 371 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि सुरजाराम पुत्र कालूराम के स्थान पर सुरजा राम पुत्र बालु राम उर्फ कालु दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1311 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अंग होगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:05 IST
Reason: SelfAttested